परिपत्र सं0 संग्रह /2024–25/ 2425001 / 65 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,उ0प्र0।
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ::::दिनांक 16 अप्रैल, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक/कॉरपोरेट सर्किल),
उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उ0प्र0।

विषयः– वसूली प्रमाण पत्रों के संबंध में।

पूर्व में मुख्यालय के पत्र सं0–जी0एस0टी0 अनुभाग/2023–24/736/राज्य कर, दिनांक– 09.01.2024, के द्वारा पूर्ववर्ती अधिनियम (वैट,प्रवेश कर, मनोरंजन कर आदि) के अन्तर्गत ऐसी फर्मों जो जी0एस0टी0 अवधि में सक्रिय व्यापार कर रही है से संबंधित लम्बित बकाया वसूली के प्रकरणों के लिये CGST/UPGST अधिनियम की धारा 142 A(1) के अन्तर्गत प्रारूप DRC-07A जारी करते हुए उक्त बकाया को CGST/UPGST अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्तानुसार प्रारूप DRC-07A जारी करते हुए बकाया धनराशि को CGST/UPGST अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किये जाने की स्थिति में पूर्ववर्ती विधि के अन्तर्गत जारी वसूली प्रमाण पत्र को संशोधित/हटाया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में राज्य कर विभाग में पूर्ववर्ती विधि के अन्तर्गत सृजित की गयी बकाया वसूली हेतु विभागीय एवं जिला प्रशासन के द्वारा वसूली किये जाने की दो भिन्न प्रणालियाँ कार्यरत हैं। इस संबंध में फील्ड इकाईयों के मध्य क्रियान्वयन में व्याप्त अस्पष्टता को दूर करने तथा कार्य प्रणाली में एकरूपता लाये जाने की दृष्टि से निम्नवत स्पष्ट किया जाता है–

1. पूर्ववर्ती विधि के अन्तर्गत सृजित की गयी बकाया वसूली हेतु विभागीय एवं जिला प्रशासन के द्वारा वसूली किये जाने की दो भिन्न प्रणालियों हेतु भिन्न–भिन्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

1.1 उन जनपदों में जहाँ पूर्ववर्ती विधि के अन्तर्गत पूर्व बकाया की वसूली विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाती है, उन प्रकरणों में ऐसे वसूली प्रमाण पत्र जिनके संबंध में प्रारूप DRC-07A जारी किया जा चुका है, के लिए विभागीय पोर्टल में R.C marking के अन्तर्गत प्रविष्टि की जायेगी।

1.1.1 R.C marking शीर्षक के अर्न्तगत ऐसी प्रविष्टि किये जाते समय पोर्टल पर उपलब्ध R.C removal के radio button का चयन किया जायेगा। उक्त button का चयन किये जाने के पश्चात खुले हुए drop down में DRC-07A के संख्या एवं दिनांक की प्रविष्टि की जायेगी।

1.2 उपरोक्तानुसार प्रविष्टि किये जाने पर संबंधित वसूली प्रमाण पत्र से आच्छादित धनराशि संबंधित पूर्ववर्ती विधि के अधीन बकाया योग्य वसूली की धनराशि से कम हो जायेगी।

2. उन जनपदों में जहाँ पूर्ववर्ती विधि के अन्तर्गत पूर्व बकाया की वसूली जिला प्रशासन द्वारा की जाती है, उन जनपदों में पृथक प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

2.1 जिला प्रशासन की वसूली वाले जनपदों में बकाया वसूली प्रमाण पत्र की वापसी से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

2.2 पूर्ववर्ती विधि की बकाया वसूली से संबंधित ऐसे प्रकरण जहाँ विभागीय स्तर पर करदाता के कैश लेजर अथवा क्रेडिट लेजर से कोई वसूली की गयी है, वहाँ की गयी वसूली की धनराशि के समतुल्य राशि की कमी करते हुए R.C modification किया जायेगा तथा तद्नुसार modified RC जिला प्रशासन को वसूली हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3. दोनों ही प्रकार के वसूली प्रारूपों के लिए Form ST-45 केवल उस दशा में जारी किया जायेगा, जहाँ पूर्ववर्ती विधि की समस्त बकाया धनराशि वसूल कर ली गयी है।

4. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5. उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आने वाली किसी भी कठिनाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जा सकता है।

15/4/24

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त,राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।